(87)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : निगरानी–मन्दसौर/भू0रा0/2017/4857 – विरूद्ध– आदेश दिनांक 9–11–2017 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन – प्रकरण क्रमांक 772/2016–17 अपील

1– श्रीमती पुष्पावाई पत्नि कन्हैयालाल सुथार
निवासी नन्दावता तहसील दलौदा व माल्याखेडखेड़ा
तहसील मंदसौर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश
2– राजेश दत्तक पुत्र कन्हैयालाल सुधार जनक
पिता सुरेश जी सुथार, निवासी ग्राम नन्दावता तहसील
दलौदा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश ———आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती मंजूवाई पत्नि राजेश सुथार
निवासी दरगाह के पास रत्नेश्वर रोड रतलाम
2– श्रीमती प्रभावती वाई पत्नि घनश्याम सुथार
निवासी गरोड़ा तहसील दलौदा जिला मंदसौर
3– श्रीमती सुमित्रावाई पत्नि स्व. बाबूलाल सुथार
ग्राम पिपलोदी हाल मुकाम ढोडर तहसील
जावरा जिला रतलाम मध्य प्रदेश ———अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री ममता सोनी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री ए.आर.यादव़)

आ दे श

(आज दिनांक 3 – 4 –2019 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 772/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 9–11–2017 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम मगरोला तहसील दलौदा स्थित भूमि सर्वे कमांक 419 रकबा 0.230 हैक्टर एंव सर्वे कमांक 418 मिन 1 मिन 2 रकबा 0.670 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.900 हैक्टर की भूमिस्वामिनी महिला पार्वतीवाई पत्नि कन्हैयालाल थी, जिनकी मृत्यु उपरांत अनावेदक क-1 ने पॅजीकृत बसीयत के आधार पर, आवेदकगण ने अपंजीकृत बसीयत के आधार पर नामान्तरण आवेदन प्रस्तुत किया, जिन पर अन्य पक्षकारों ने आपत्ति प्रस्तुत की। तहसीलदार मंदसौर ने प्रकरण कमांक 56 अ-6/14-15 पंजीबद्ध किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 7.4.2016 पारित किया एंव व्यवहार वाद प्रचलित होने के आधार पर नामांतरण प्रकरण निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर के समक्ष दो अपील कमशः (1) प्र.क. 15/16-17 एंव (2) प्र.क. 16/16-17 प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर ने दोनों अपील प्रकरणों में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 31-3-17 से अंतिम बसीयत को सही मानते हुये महिला पुष्पावाई पत्नि कन्हैयालाल सुथार एंव राजेश दत्तक पुत्र कन्हैयालाल सुधार जनक के हित में नामान्तरण करते हुये अन्य पक्षकारों व्दारा प्रस्तुत अपील कमांक 15/16-17 निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध महिला मॅजूवाई ने अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन ने प्रकरण कमांक 772/2016-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-11-2017 से पॅजीकृत बसीयत को प्रमाणित होना मानते हुये महिला मॅजूवाई के हित में नामान्तरण स्वीकार किया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर दिये । इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के कम में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि तहसीलदार मंदसौर ने आदेश दिनांक 7.4.2016 से व्यवहार वाद प्रचलित होने के आधार पर नामांतरण

प्रकरण निरस्त किया है, जबकि किसी भी पक्षकार ने यह नहीं बताया है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध लंबित व्यवहार न्यायालय के प्रकरण में नामान्तरण कार्यवाही पर स्थगन है। म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 में उल्लेखित है कि अधिकार अभिलेख में अभिलिखित जब किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तब ऐसे पक्षकार के अधिकार किसी अन्य को अर्जित हो जाते हैं तब इस परिवर्तन को भू अभिलेख में प्रविष्टि कराने का हक अर्जन हो जाता है एंव यह सुनिश्चित है कि नामान्तरण न होने से किसी व्यक्ति का हक या अधिकार नष्ट नहीं होता क्योंकि नामान्तरण हक का अर्जन नहीं कराता, वरण अर्जित हक को भू अभिलेख में राज वित्तीय उद्धेश्य के लिये अंकन किया जाता है। स्वत्व का विनिश्चय राजस्व न्यायालय के बजाय व्यवहार न्यायालय से होता है एंव व्यवहार न्यायालय से वादग्रस्त भूमि के स्वत्व के सम्बन्ध में जो भी आदेश होंगे, राजस्व न्यायालय व्दारा पालन किया जावेगा। इस प्रकार तहसीलदार मंदसौर ने आदेश दिनांक 7.4.2016 से व्यवहार वाद प्रचलित होने के आधार पर नामांतरण प्रकरण निरस्त भूल की गई है।

5/ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर ने संयुक्त आदेश दिनांक 31-3-17 से अंतिम बसीयत (अपॅजीयत) को सही करार देते हुये महिला पुष्पावाई पत्नि कन्हैयालाल सुथार एंव राजेश दत्तक पुत्र कन्हैयालाल सुथार के हित में नामान्तरण स्वीकार किया है एंव रजिस्टर्ड बसीयतग्रहीता श्रीमती मंजूवाई पत्नि राजेश सुथार के हित में हुई बसीयत को अमान्य किया है।

1. **माननीय उच्च न्यायालय का सुखलाल विरूद्ध दशोदिया 1990 रा.नि. 350 पर न्याय दृष्टांत है कि अपंजीकृत बसीयत के बजाय पॅजीकृत बसीयत विश्वसनीय रहती है।**
2. **माननीय उच्च न्यायालय का भूरा विरूद्ध सीताराम 1981 म0प्र0वीकली नोट्स 207 पर न्याय दृष्टांत है कि जब किसी विल का रजिस्टीकरण उसे लिखाने वाले की मृत्यु के समय किया गया हो तब रजिस्ट्रीकरण प्रथम दृष्टि में बैध माना जावेगा क्योंकि यदि कोई संदेह होता तब उस विल का उप रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण नहीं करता।**

उपरोक्त न्याय दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर ने संयुक्त आदेश दिनांक 31-3-17 से अंतिम बसीयत (अपॅजीकृत) को सही करार देते हुये पंजीकृत बसीयत को संदिग्ध मानने में भूल की है जिसके कारण अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन ने प्रकरण कमांक 772/2016–17 अपील विस्तृत विवेचना करते हुये (Speaking Order) आदेश दिनांक 9–11–2017 पारित किया है जिसके कारण अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन व्दारा पारित आदेश दिनांक 9–11–2017 में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन व्दारा प्रकरण कमांक 772/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 9–11–2017 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस०एस०अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर